उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

पत्रांकः–5226–पें0 एवं आर0–28/पाकालि/10–60पी–98टी0सी0–। दिनांकः 22 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अपने सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा–3–1515/दस–2008/308/97, दिनांक 08.12.2008 को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के एवं वितरण कम्पनियों व ट्रांस्कों के पेंशनरो/पारिवारिक पेशनरों हेतु संगत अन्य शासनादेशों सहित कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397–पें0एवंआर0–28/पाकालि/09–60पी/98, दिनांक 02.03.2009 द्वारा कतिपय अन्य संशोधनो सहित अंगीकृत किया गया है।

2. शासन ने अब उक्त आदेश संख्या : सा–3–1515/दस–2008/308/97, दिनांक 08.12.2008 के अनुक्रम में प्रस्तर 4 (I)(IV) को का0ज्ञा0/शुद्धि पत्र संख्या : सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19.07.2010 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया है :–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतन मान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

3. उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिस्थापित की गई उक्त व्यवस्था को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अपने एवं समस्त डिस्काम्स सहित ट्रांस्को के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए निदेशक मंडल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में संलग्न शासनादेश के प्रस्तर 2 एवं 3 में यथा स्थान कतिपय आवश्यक संशोधनों के साथ कमशः निम्नवत अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया हैः–

(I) दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व कारपोरेशन में लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैंड, जैसा कि इस आदेश के साथ संलग्न तालिका– (अनुलग्नक क) में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि दर्शायी गई है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहॉ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह कारपोरेशन के परिपेक्ष्य में रूपयें 3865/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(II) कारपोरेशन के आदेश सं0–1094–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010–4–काविनी/94 दिनांक 01.09.2010 के अभीष्ट कियान्वयन हेतु कारपोरेशन के दिनांक 01 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन/प्रकल्पित वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुए) घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

— 2

4. उपरोक्त शासनादेश को अंगीकृत कराये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेंशन संलग्न तालिका (अनुलग्नक क, के अनुसार तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आगणन शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 19.07.10 तक अनुमन्य कराया जाय परन्तु कारपोरेशन के तृतीय समयवबद्ध वेतनमान के उच्चीकरण आदेश सं0–981–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि दिनांक 14.08.10 एवं स्पष्टीकरण आदेश 1094–काविनी एवं वें0प्र0–29/पाकालि/10, दिनांक 01.09.10 के प्रस्तर–3 के अनुसार उच्चीकरण का वास्तविक लाभ पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 20.07.10 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर अनुमन्य होगा।

संलग्नक : यथोक्त।

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

संख्या :– 5226(I) पी0एण्डआर0/पाकालि0/2010–108 पी–31/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी को कारपोरेशन द्वारा निर्गत विभिन्न पेंशन पुनरीक्षण आदेशों की एक प्रति के साथ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कट फाइल।

तुरन्त →

आज्ञा से,
(सज्जन लाल)
अपर सचिव (अरा0)

कायालय ज्ञाप संख्या 5226 पें एण्ड आर–28/पाकालि/10–60 पी–98 टी0सी0–1 दिनांक 22.11.10 का संलग्नक

अनुलग्नक–क

कम सं0	01.01.96 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन (आदेश सं0 175 दि0 19.2.09 की अनुसूची–क के अनुसार)	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग (4+5)	01.01.2006 को न्यूनतम पेंशन (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
1–	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	1900	5830	7730	3865
2–	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	2000	6460	8460	4230
3–	3500–85–5455	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	2200	6510	8710	4355
4–	4200–100–6400 (यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4300/–)	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	2600	8000	10600	5300
5–	4500–125–7500(यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4625/–)	वेतन बैण्ड–1 5200–20200	3000	8610	11610	5805
6–	5300–150–8600(अवर अभियंताओं को छोड़कर)	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200	9860	14060	7030
7–	5300–150–5600–175–9100 (अवर अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 5600/–)	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200	9860	14060	7030
8–	5850–175–9000–200–9400	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200	9860	14060	7030
9–	6000–200–10400	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4200	9860	14060	7030
10–	6500–200–10500–250–11000	वेतन बैण्ड–2 9300–34800	4800	13350 (उ0प्र0शासन की अनुरुपता में)	18150	9075
11–	8550–275–13500(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 9375/–)	वेतन बैण्ड–3 15600–39100	5400	15600	21000	10500
12–	10650–325–15200(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 11300/–)	वेतन बैण्ड–3 15600–39100	6600	18750	25350	12675
13–	14300–400–18300(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 15100/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	8700	37400	46100	23050
14–	16400–450–20000(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 17300/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	8900	40200	49100	24550
15–	18400–500–22400(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 18900/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	10000	43000	53000	26500
16–	21350–525–23975	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	11000	47100	58100	29050

नोट : 1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 दिसम्बर 2008 के उपरान्त जहॉं किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हो, वहॉं ऐसे संशोधन को संज्ञान में लेते हुये संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–1358 / दस–2010
लखनऊ दिनाँक 19 जुलाई, 2010

सं० 3210 अपर सचिव (अराजपत्रित/पाकालि) दिनांक 06/9/10

0701 नि०(का०प्र० एवं प्रशा०, पाकालि/2010

कार्यालय–ज्ञाप / शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनाँक 8.12.2008 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय– ज्ञाप के प्रस्तर 4(i)(IV) को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित समझा जाये :–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच०ए०जी० तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

2– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड, जैसा कि वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–वे0आ0–2–1340/दस–59(एम)/2008, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहाँ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रूपये 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3– दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुये) घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

—2/—

संख्या–सा–3–1358(1)/दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–	सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2–	सचिव, विधान सभा, परिषद,विधान भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
3–	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
4–	निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
5–	निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
6–	सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ।	–5 प्रतियाँ–
7–	मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद	–5 प्रतियाँ–
8–	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।	–5 प्रतियाँ–
9–	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।	–5 प्रतियाँ–
10–	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
11–	इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
12–	मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्ड्स, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	–5 प्रतियाँ–

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन
1	2	3		4	5	6	7
1	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200-85-4900	5200-20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000-100-6000	5200-20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500-125-7000	5200-20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500-125-7250	5200-20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000-150-8000	9300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500-175-9000	9300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500-200-10500	9300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450-225-11500	9300-34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500-250-12000	9300-34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000-275-13500	9300-34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000-275-13500	15600-39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550-275-14600	15600-39100	5400	15600	5400	21000	10500
15	10000-325-15200	15600-39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650-325-15850	15600-39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000-375-16500	15600-39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300-400-18300	37400-67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400-450-20000	37400-67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400-500-22400	37400-67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400-525-24500	67000-79000	—	67000	—	67000	33500

टिप्पणी-

(1)- दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के वेतनमान रू0 2550-3200, रू0 2610-3640 तथा रू0 2650-4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनाँक 01-01-2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग रू0 7000/- से कम होने के कारण इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन रू0 3500/- प्रति माह निर्धारित होगी।

(2)- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त, जहाँ किसी पुराने वेतनमान के वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हैं, वहाँ ऐसे संशोधन को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा।